P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-1* ISSUE-11* February- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

आपातकाल में विरोधी दल के नेताओं की स्थिति का अध्ययन

योगेन्द्र सिंह
शोधार्थी ,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
कोटा यूनिवर्सिटी कोटा,
राजस्थान

सारांश

आपातकाल की घोषणा के साथ ही भारतीय राजनीति में नये युग का श्री गणेश हुआ देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं और इन दलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंतरिक सुरक्षा कानून और सेंसरशिप लागू कर दी गई। आपातकाल के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं पर जो अत्याचार हुए इतिहास के काले पन्ने को आज भी याद किया जाता हैं इस पर समय–समय विभिन्न लेख प्रकाशित होते है। जिनमें विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ के साथ जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, लोगों के बोलने की शक्ति ओर मिलकर प्रतिरोध करने की शक्ति, भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक ताकतों को डरा देती हैं अगर एक बार हम लोगों ने बोलना बंदकर दिया और विरोध करना बंद कर दिया अगर हमने एक–दूसरे से मुँह मोड़ लिया तो हम ज्यादा समय स्वतंत्र नहीं रह पायेंगे और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का स्वरूप नष्ट हो जायेगा।

मुख्य शब्द : आपातकाल, सेंसरशिप, मींसा, डीआइआर, विरोधी दल, अनु. 352

प्रस्तावना

25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उस मसौदे पर मौहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। इसके तहत लोकतंत्र को निलम्बित कर दिया गया।

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने के बाद इंदिरा गांधी को असाधारण शक्तियां मिल गई। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरणसिंह, जार्ज फर्नाडिश, नरेन्द्र मोदी, मोरारजी देसाई, राजनारायण के अलावा सैंकड़ों नेताओं, कार्यकर्ताओं को मींसा (मेंटीनेंस ऑफ, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु में एम करूणानिधी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संघटनों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

दिल्ली में अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चलाए जा रहे जनसंघ सत्याग्रह में मोदी ने पहली बार सहभागिता की सन 1971 मे नवयुवक के तौर पर वे इन सत्याग्रहों का हिस्सा बने इस दौरान मुक्ति वाहिनी का साथ देने के विरोध में सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। कई प्रकार की उच्च स्तरीय जिम्मेदारी के चलते हुए एक वर्ष के अंदर मोदी को अहमदाबाद में स्वयंसेवक कार्यालय का प्रचारक बना दिया।

आपातकाल के विरूद्ध मोदी को गुप्त रूप से कार्यों को करना पड़ा जिसके लिए आरएसएस ने उन्हें गुजरात की लोकसंघर्ष समिति का अधिकारी नियुक्त किया इस दौरान दिल्ली की जेल में कैद लोगों से अलग–अलग रूप व कपड़ों मे जाया करते थे। साथ ही उन्होंने अपना नाम भी रखा 'प्रकाश' इन साहसी कार्यों से वे जनता के लिए अद्वितीय शोभा के रूप में सामने आये।

1. झुक नहीं सकते

टूट सकते है मगर हम झुक
नहीं सकते।
सत्य का संघर्ष सत्ता से,
न्याय लड़ता है निरंकुशता से,
अंधेरे ने दी चुनौती है,
किरण अंतिम अस्त होती है।
दीप निष्ठा का लिये निष्कम्प,
वज्र टूटे या उठे भूकंप,
यह बराबर का नहीं है युद्ध,

हम निहत्थे, शत्रु हैं सन्नुद्ध,
हर तरह के शस्त्र से हैं सज्ज,
और पशुबल हो उठा निर्लज्ज।
किन्तु फिर भी जूझने का प्रण,
पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण,
प्राण–प्राण से करेंगे प्रतिकार,
सम्पूर्ण की मांग अस्वीकार,
दांव पर सबकुछ लगा है, रुक
नहीं सकते।
टूट सकते है, मगर हम झुक
नहीं सकते।

अटल बिहारी वाजपेयी
(आपातकाल के दौरान जेल में रहते हुए लिखी कविता)

2. तीन दिन नही दिया भाई को खाना

आपातकाल लागू हाने के बाद पुलिस ने जब ज्यादती करना शुरू कर दिया तो सत्याग्रह होने लगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता खेमचंद जी की गिरफ्तारी को पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। दरियावजगंज निवासी खेमजी जब नहीं मिले, तो उनके भाई लक्ष्मण सिंह को उठा लिया। खेमजी का पता पूछने के लिए भाई को न सोने दिया और न ही भोजन दिया। परिवार की यह हालत देख खेमचंद जी ने सत्याग्रह की तिथि घोषित कर दी और 7 जुलाई 1975 को उनकी गिरफ्तारी हो गई। इसी तरह पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता स्व. आचार्य गिरिराज किशोर की गिरफ्तारी के लिए उनके परिजनों पर दबाब बनाया।

3. अपराधियों जैसा बर्ताव करता था प्रशासन

वयोवृद्ध भाजपा नेता गैंदालाल गुप्ता बताते है कि जो लोग जेल चले गए,उनके परिजन पुलिस उत्पीड़न से मुक्त रहते थे। जो भूमिगत थे। उनके परिवारों में आए दिन दविशें पड़ती थी। पुलिस लोकतंत्र के प्रहरियों से शातिर अपराधी की तरह व्यवहार करती थी। उन्होनें कहा कि जेल में चूंकि मींसा बंदियों की तादाद ज्यादा थी। इस कारण जेल प्रशासन कभी उलझने की नहीं सोचता था।। जेल के अंदर रहने वालों का सबसे बड़ा दर्द यह था कि वे अपने परिवार से दूर थे। अखबारों में दमन की खबरे ही ज्यादा आती थी। जिन पर खूब चर्चा होती थी। जेल के अंदर जब यह खबरे पहुँचती थी कि बंदी लोगों के साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस परिवारजनों पर दबाब बना रहीं है तो खून खोल उठता था। लेकिन हम सब विवश थे।

4. अपनों ने ढ़हाये थे अंग्रेजों जैसे जुल्म

आपातकाल का नाम सुनते ही प्रसिद्ध कवि देवकीनंदन कुम्हेरिया की बूढ़ी आंखों में लाल डोरे पड़ गये। बताया कि अपने देश के सिपाहियों ने बेदर्द तरीके से बंदूकों की बटों और लाठी डण्डों से पिटाई करते हुए सड़कों पर घुमाया। जेल में प्रताड़ित किया गया है। डा0 फूलचंद जैन बताते है कि नारेबाजी करते हुए थाने पहुँचे, तो पुलिस वाले डंडे से पीटते हुए दानघाटी मंदिर तक लाए और वहां से थाने तक ले गये। फिर करीब तीन घंटे तक थाने में पिटाई की गई। इसने मुझे मरणासन्न स्थिति में पहुँचा दिया।

नेमीचंद अग्रवाल बताते है कि जितने नारे लगाए, उतने ही डंडे पड़े। महीनों तक शरीर के अंगों ने काम करना छोड़ दिया। पिटाई के वक्त लगा कि मुश्किल ही बच पायेंगे। परंतु अपनी मातृभूमि को अपने ही लोगों से बचाने की थी। सो उत्साह ने दामन नही छोड़ा।

5. जेल जाने के डर से बने टी.बी. मरीज

सुरीर के आर.एस.एस. कार्यकर्ता 84 वर्षीय बृजकिशोर वार्ष्णेय ने इमरजेंसी की याद ताजा करते हुए बताया कि इमरजेंसी के दौरान पुलिस तरह–तरह की यातना दे रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस घूम रही थी। कई बार घर पर दबिश दी। इससे बचने के लिए टी. बी. सेनेटेरियम वृंदावन में जाकर भर्ती हो गए थे। यहाँ पर छः माह तक मरीज के रूप में पड़े रहे।

6. कोतवाली में नोंचे गये बाल और नाखून

मथुरा आपातकाल के दौरान पुलिस से लेकर जेल तक में लोगों को यातनाएं दी गई। जो पकड़ में नहीं आ उनके परिजनों पर जुल्म ढ़ाए गए। कोतवाली में तो कई सत्याग्रिहों के नाखून और बाल तक नोंचे गए थे।

आपातकाल के दौरान रामबाबू भाटिया कई स्थानों पर छिपते रहे । पीछे से उनके घर की कुर्की हो गई। इसके बाद उनकी भाटिया वॉच कंपनी की दुकान की कुर्की हो गई। पुलिस इस दुकान से 12 टन घड़ियों का माल ले गई थी। बड़ा बेटा नहीं मिला, तो छोटे को ले गई। बेमुश्किल स्कूल के प्रिंसिपल ने यह कहकर उसे छुड़वाया कि ये बच्चा तो स्कूल में था। उनकी पत्नी आत्मादेवी ने सत्याग्रिहों का माला पहनाकर स्वागत किया था तो उन्हें भी पुलिस ने बहुत परेशान किया। आखिर 31 जुलाई 1975 को जेलर ने उन्हें तन्हाई में डाल दिया। इस बैरक में 22 घंटे कैद रखा जाता था। डी.आई.आर में निरूद्ध पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र अग्रवाल बताते है कि इमरजेंसी के दौरान वह शांति मार्केट में बैठे थें। तभी पुनेठा नाम का दरोगा आया और उन्हें कोतवाली ले जाकर विभिन्न धाराओं में पाबंद कर जेल भेज दिया। कई लोकतंत्र सैनानियों के कोतवाली में नाखून और सिर के बाल तक नोंचे गये। जेल में शाम को खाना खाने के दौरान यह गीत रोजाना गाया जाता था।

देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देख कौन चुकाता है।
देखें कौन सुमन सैया तक कंटक पथ अपनाता है।
संबल मोह–ममता को तल कर माता जिसको प्यारी है।
शत्रु को हिय छेदने हेतु जिसकी तेज कटारी हो।
वहीं वीर अब बढ़े जिसमे हँस–हँस कर बढ़ना आता हो।

आपातकाल का विरोध मेंटीनेंस ऑफ ईटरनल सिक्योरिटी एक्ट(मींसा) और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यानि डीआईआर स्वयं सेवक संघ और जनसंघ से जुडे थे।

7. जंजीरों में जकड़ें गए जॉर्ज

आपातकाल के दौरान तत्कालीन केन्द्र सरकार ने विपक्षी नेता जॉर्ज फर्नाडिंश और 24 अन्य लोगों के

खिलाफ बड़ौदा डायानामाइट नामक अपराधिक मामला दर्ज किया था। सरकार की तरफ से सी.बी.आई. ने आरोप लगाया था कि जॉर्ज और उनके सहयोगियों ने सरकारी प्रतिष्ठान और रेलवे लाईन को उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्करी की। समाजवादी नेता जॉर्ज को जेल में जंजीरों मे जकड़ कर रखा गया था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आने पर फर्नांडिश और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहा मामला वापिस ले लिया गया था।

8. संपूर्ण क्रांति के नायक

संपूर्ण क्रांति के जनक रूप में पहचान बनाने वाले जयप्रकाश नारायण की पहचान लोकनायक के रूप में रही है। सन् 1974 मे बिहार और गुजरात मे चले छात्र आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। आपातकाल के दौरान 21 महीने की जेल काटने के बाद सन् 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहीं। उन्हें आपातकाल के हीरों के रूप में पहचाना जाता है। पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के लिए भाई जयप्रकाश को ही श्रेय दिया जाता है। राजनीति में रहते हुए भी जयप्रकाश नारायण ने कभी सक्रिय राजनीति में आने या पद की महत्वाकांक्षा नहीं पाली।

9. आपातकाल व राज्य के शत्रु

आपातकाल के दौरान गुजरात में संघ के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। मोदी को हेडगेवार भवन का कनिष्ठ कर्मचारी मान छोड़ दिया गया। मगर भूमिगत आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया, बल्कि मीडिया पर पाबंदी के बावजूद इस सरकारी अतिरेक से जुड़ी खबरें, पर्चों के रूप में देश ही नहीं विदेश भिजवाने का प्रबंध किया। कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित ठिकाने और पैसे जुगाड़े। उस वक्त सरकार ने विरोध करने वाले लोगों को राज्य का शत्रु करार दिया।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोधपत्र के माध्यम से शोधार्थी द्वारा आपातकाल में विरोधीदल के नेताओं की स्थिति, भूमिका का अध्ययन करना है । तथा यह बात ज्ञात करना कि आपातकाल में सरकार द्वारा विरोधी दल के नेताओं पर किस– किस प्रकार के अत्याचार किये तथा विरोधी दल के नेताओं की क्या भूमिका रही।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आपातकाल में सरकार द्वारा विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनको नजरबंद किया गया तथा विरोध में उठने वाले स्वरों को दबाया गया तथा एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राजस्थान पत्रिका 9 अप्रैल 2013*
2. *राजस्थान पत्रिका 14 अप्रैल 2013*
3. *राजस्थान पत्रिका 27 जून 2013*
4. *राजस्थान पत्रिका 17 मई 2014 (अलवर)*
5. *राजस्थान पत्रिका 25 जून 2015*
6. *राजस्थान पत्रिका 12 अक्टूबर 2015*
7. *दैनिक जागरण 25 जून 2011*
8. *दैनिक जागरण 25 जून 2015 (आगरा)*
9. *अमर उजाला 25 जून 2015*